

आदेश - पत्रक

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय उप समाहर्ता, भू०सु० सदर मेदिनीनगर।

दा०खा० अपील वाद सं०- $\frac{XV}{08}$ / 2017-18

शिव कुमारी देवी

बनाम

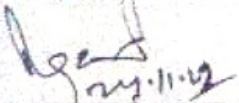
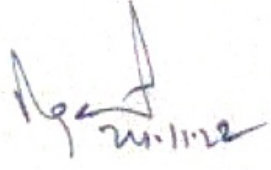
अपीलार्थी

शांति देवी

आदेश

विपक्षी

यह दाखिल खारीज अपील वाद विद्वान अंचल अधिकारी पाटन द्वारा दाखिल खारीज वाद सं०-383/2015-16 एवं दाखिल खारीज वाद सं०-975/2015-16 में क्रमशः दिनांक 03.08.2015 एवं 11.03.2016 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है जिस आदेश के द्वारा विपक्षी शांति देवी के नाम से ग्राम किसैनी थाना पाटन के खाता नं०-16 प्लॉट नं०-253 रकबा 2.62% एकड़ भूमि का तथा अपीलार्थी के नाम से ग्राम किसैनी के खाता नं०-16 प्लॉट नं०-253 रकबा 2.12% एकड़ भूमि का दाखिल खारीज स्वीकृत किया गया है। अपीलार्थी के अनुसार अपीलार्थी ने जोगल महतो से निबंधित केवाला सं०-1536 दिनांक 14.03.2012 के माध्यम से प्रश्नगत खाता/प्लॉट में रकबा 2.62% एकड़ भूमि क्रय किया और दखल कब्जा में आए। इसी प्रकार विपक्षी शांति देवी ने उसी विक्रेता जोगल महतो से निबंधित केवाला सं०-12885 दिनांक 27.12.2010 के माध्यम से प्रश्नगत खाता/प्लॉट में रकबा 2.62% एकड़ भूमि क्रय किया। दोनों पक्षों ने बराबर बराबर रकबा एक ही विक्रेता से क्रय किया है किन्तु अंचल अधिकारी द्वारा बिना स्थलीय जांच के अपीलार्थी के नाम से दाखिल खारीज वाद सं०-975/2015-16 से दिनांक 11.03.2016 को रकबा 2.12% एकड़ भूमि का दाखिल खारीज स्वीकृत किया है जबकि विपक्षी शांति देवी के नाम से दाखिल खारीज वाद सं०-383/2015-16 से दिनांक 03.08.2015 को रकबा 2.62% एकड़ भूमि का दाखिल खारीज स्वीकृत कर दिया गया है जबकि अपीलार्थी का भी 2.62% एकड़ भूमि का दाखिल खारीज होना चाहिए था जो नहीं किया गया। अपीलार्थी का दावा है कि दाखिल खारीज के लिए महत्वपूर्ण विन्दु दखल कब्जा है किन्तु बिना स्थलीय जांच के ही कम रकबा का दाखिल खारीज कर दिया गया है। विपक्षी का दावा है कि विपक्षी ने अपीलार्थी से दो वर्ष पूर्व 2010 में निबंधित केवाला सं०-12885 दिनांक 27.10.2010 से रकबा 2.62% एकड़ भूमि क्रय किया और दखल कब्जा में आए। विपक्षी के नाम से दखल कब्जा के विन्दु पर जांचोपरान्त दाखिल खारीज वाद सं०-383/2015-16 से दिनांक 03.08.2015 को 2.62% एकड़ भूमि दाखिल खारीज किया गया। अपीलार्थी के नाम दाखिल खारीज वाद सं०-975/2015-16 से विपक्षी के दाखिल खारीज

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
	के 7-8 महीना बाद दिनांक 11.03.2016 को विक्रेता की जमाबंदी एवं दखल कब्जा के आधार पर रकबा 2.12% एकड़ भूमि का दाखिल खारीज हुआ है जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। निम्न न्यायालय का दाखिल खारीज वाद सं०-975/2015-16 का मूल अभिलेख एवं अभिलेख के साथ संलग्न हल्का कर्मचारी के जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि अपीलार्थी के विक्रेता जोगल महतो के नाम से प्रश्नगत खाता/प्लॉट में रकबा 2.12% एकड़ भूमि की जमाबंदी चल रही थी जिसके आधार पर दाखिल खारीज किया गया है। जब विक्रेता की जमाबंदी 2.12% एकड़ भूमि की है तो 2.62% एकड़ भूमि का दाखिल खारीज नहीं किया जा सकता है। जहां तक विपक्षी शांति देवी का दाखिल खारीज का प्रश्न है विपक्षी का दाखिल खारीज 03.08.2015 को अर्थात् अपीलार्थी के दाखिल खारीज के 7-8 माह पूर्व ही हुआ है। दिनांक 03.08.2015 को विपक्षी के विक्रेता की जमाबंदी रकबा 4.75 एकड़ भूमि के लिए कायम थी इसलिए विपक्षी द्वारा खरीदी गयी भूमि 2.62% एकड़ भूमि का दाखिल खारीज हुआ है। दाखिल खारीज के लिए जमाबंदी महत्वपूर्ण बिन्दु है। ऐसी स्थिति में विपक्षी के नाम से पारित आदेश में हस्तक्षेप करना अपेक्षित नहीं है। अपीलार्थी का दावा सीविल प्रकृति का है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। अपीलार्थी सक्षम न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र है। लेखापित एवं संशोधित।  उप समाहर्ता, भू०सु० सदर मेदिनीनगर।  उप समाहर्ता, भू०सु०, सदर मेदिनीनगर।